

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 272 / 2013
संस्थित दिनांक- 05.06.2013

म.प्र. राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी

.....अभियोजन

वि रू द्ध

1. हीरालाल पिता पूनमचंद यादव, आयु 65 वर्ष

2. दिनेश पिता हीरालाल, आयु 40 वर्ष

3. राहुल पिता दिनेश, आयु 22 वर्ष,

सभी निवासी ठीकरी तहसील ठीकरी
जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्तगण द्वारा	- श्री जे.पी. गुप्ता अधिवक्ता ।

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 30/04/2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 87/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.वि में दिनांक 05.06.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15.05.2013 को समय सायं 6:30 बजे, यादव मोहल्ला खाण्डेराव मंदिर के पास, ठीकरी में फरियादी नरेन्द्र यादव एवं लोकेश को मौं-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उन्हें व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने, फरियादी नरेन्द्र यादव एवं लोकेश को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादी नरेन्द्र यादव एवं लोकेश को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में भा.द.वि. की धारा-294, 323 (दो शीर्ष), 506(2) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नरेन्द्र यादव ठीकरी रहकर मजदूरी करता है तथा उसके मकान के पास खाली जमीन पर उसका भाई प्रकाश व दिनेश मकान बना रहे हैं। अभियुक्त दिनेश ने उसके कब्जे की जमीन पर कॉलम खड़ा कर दिया है । घटना दिनांक को शाम को लगभग 6:30 को फरियादी नरेन्द्र एवं

उसका भांजा लोकेश मजदूरी कर घर वापस आए तो नरेन्द्र ने अभियुक्त दिनेश को कहा कि उक्त कॉलम उसकी जमीन पर है इसे हटाकर तुम्हारी ओर कर लेना, अभियुक्त दिनेश ने कॉलम हटाने का कह दिया, इतने में उसका पुत्र राहुल आया और नरेन्द्र एवं लोकेश को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगा लोकेश के साथ मारपीट करने लगा, तब फरियादी नरेन्द्र ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त हीरालाल, दिनेश एवं राहुल ने नरेन्द्र एवं लोकेश को हाथ-मुक्कों से मारा तथा अभियुक्त हीरालाल ने एक ईंट मारी जो नरेन्द्र को सिर में लगी जिससे रक्त निकलने लगा। एक ईंट अभियुक्त राहुल ने लोकेश को मारी जो उसके सिर में लगी। घटना में बीच-बचाव मुकेश रमेश ने किया। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने फरियादी नरेन्द्र यादव द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण हीरालाल, दिनेश एवं राहुल के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 87/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। पुलिस ने फरियादी नरेन्द्र की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षियों एवं फरियादी के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4. उक्त अनुसार मेरे विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-294, 323 (2 शीर्ष), 506(2) का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तों द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है। भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों का कथन है कि वे निर्दोष हैं, लेकिन अभियुक्त ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 15.05.2013 को समय सायं 6:30 बजे, यादव मोहल्ला खाण्डेराम मंदिर के पास, ठीकरी में फरियादी नरेन्द्र यादव एवं लोकेश को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उन्हें व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?
2	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी नरेन्द्र यादव एवं लोकेश को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?
3	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी नरेन्द्र यादव एवं लोकेश को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

--:: सकारण - निष्कर्ष ::--

6. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी नरेन्द्र (अ.सा.1), लोकेश (अ.सा.2), नानूराम (अ.सा.3), रमेश (अ.सा.4), मुकेश (अ.सा.5), प्रधान आरक्षक

पीरचंद चौधरी (अ.सा.6) एवं चिकित्सक आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.6) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी नरेन्द्र (अ.सा.1) का कथन है कि घटना आखातीज के दिन 15 तारीख शाम 6:30 बजे की है । वह और उसका भाई लोकेश मजदूरी करके घर पर आए थे । उसने और उसके भाई ने आरापी दिनेश को कहा था कि उनके हिस्से की जमीन में अपना मकान नहीं बनाये, इस बात पर से अभियुक्तगण ने अश्लील गालियां दी थीं, उसके और लोकेश के साथ मारपीट की थी । उसे सिर में चोट आई थी और लोकेश को भी अभियुक्तों द्वारा मारपीट करने से सिर में चोट में आई थी । घटना में किसी ने बीच-बचाव नहीं किया था । अभियुक्तों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी । उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर प्र.पी.1 की लिखायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसे एवं लोकेश को ईलाज के लिये ठीकरी अस्पताल भेजा था, उसके बाद उसका ईलाज बड़वानी अस्पताल में हुआ था । पुलिस ने उसकी निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.2 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रकाश का मकान बन रहा था, प्रकाश अभियुक्तों से अलग रहता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसने अभियुक्त राहुल से कहा था कि उसके भाई प्रकाश के मकान का कॉलम उनके मकान की ओर आ रहा है, तब अभियुक्त राहुल ने कहा था कि सुबह मिस्त्री को बताकर करवा देंगे । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि कॉलम की बात को लेकर वह, लोकेश एवं नानूराम तीनों ने अभियुक्त राहुल एवं हीरालाल को मों, बहन की अश्लील गालियां दी थीं । इस सुझाव से भी इन्कार किया कि फिर उसने, लोकेश और नानूराम ने अभियुक्तों के साथ मारपीट की थी, जिससे राहुल एवं हीरालाल को चोटे आई थीं । इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने अभियुक्तों को जान से मारने की धमकी दी थी । साक्षी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया कि अभियुक्त राहुल ने उसके विरुद्ध रिपोर्ट की थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अभियुक्तों की रिपोर्ट से बचने के लिए उनके विरुद्ध असत्य रिपोर्ट की है एवं अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के पास मंशाराम एवं रमेश के हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि लोकेश उसका भांजा एवं नानूराम उसके पिता हैं ।

9. साक्षी लोकेश (अ.सा.2) का कथन है कि नरेन्द्र उसका मामा है अभियुक्त भी रिश्ते में उसके मामा लगते हैं । घटना 8-10 माह पूर्व शाम 5:30-6:00 बजे अभियुक्त दिनेश का भाई प्रकाश मकान बना रहा था, प्रकाश ने मकान बनाने के लिये कॉलम उनकी जमीन में खड़ा कर दिया था । वह और नरेन्द्र मजदूरी करके लौटे थे, तब उन्होंने अभियुक्त दिनेश को उनकी जमीन में से कॉलम हटाने का कहा था, तो अभियुक्त राहुल आया था और मों, बहन की अश्लील गालियां देने लगा था और नरेन्द्र के साथ मारपीट करने लगा था, फिर अभियुक्त हीरालाल और दिनेश आए थे और उन्होंने भी उसके और नरेन्द्र के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके सिर में चोट लगी थी, नरेन्द्र के सिर में भी चोट आई थी । अभियुक्त दिनेश ने कुल्हाड़ी से भी मारपीट की थी ।

10. अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक-प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्त राहुल ने उसके सिर पर ईंट मारी थी ।

11. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रकाश मकान बना रहा था, जो अभियुक्त हीरालाल व दिनेश से अलग रहता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसने और नरेन्द्र ने अभियुक्त राहुल को जाकर कहा था कि प्रकाश के मकान का कॉलम उनके मकान में आ रहा है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि इसी बात को लेकर उन्होंने अभियुक्तों को अश्लील गालियां दी थीं और हीरालाल के आने पर उन्होंने हीरालाल के साथ मारपीट की थी । इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि नरेन्द्र ने राहुल को ईंट उठाकर सिर के पीछे मार दी थी, जिससे उसे खून निकला था तथा एक ईंट अभियुक्त हीरालाल को छाती पर मारी थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय सीताराम डावर व सुरेश ने बीच-बचाव किया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि राहुल ने उनके विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट की है एवं उसके और नरेन्द्र के विरुद्ध तहसील न्यायालय ठीकरी में शांति भंग का केस चला था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी और अभियुक्तों की काफी समय से बातचीत बंद है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

12. साक्षी नानूराम (अ.सा.3) का कथन है कि फरियादी और अभियुक्तों को जानता है, 6-7 माह पूर्व जून या जुलाई के समय वह चौराहे पर खड़ा था, तब नरेन्द्र और लोकेश घर से दौड़ते हुए चौराहे पर थाने के सामने आए थे, दोनों लहुलुहान थे । तब उसने दोनों से पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि अभियुक्तगण उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, वे बोलने लगे थे तो अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट की थी तथा कुल्हाड़ी भी मारी थी । साक्षी का यह भी कथन है कि फिर वह नरेन्द्र, लोकेश के साथ थाना ठीकरी पर रिपोर्ट करने गया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के दिन प्रकाश मकान बना रहा था, प्रकाश अभियुक्तों से अलग निवास करता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने भी अभियुक्तों के साथ मारपीट की थी अथवा फरियादीगण ने अभियुक्तों के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी दी थी ।

13. साक्षी रमेश (अ.सा.4) ने फरियादी एवं अभियुक्तों के बीच विवाद होने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक-प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तों ने नरेन्द्र, लोकेश को हाथ-मुक्को से मारपीट की थी । साक्षी ने यह देखने से भी इन्कार किया है कि अभियुक्त हीरालाल ने नरेन्द्र के सिर पर ईंट मार दी थी, जिससे उसके सिर में चोट आई थी । साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.3 का कथन देने से भी इन्कार किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण एवं फरियादी के मकान के मध्य आम रास्ता है और उसका मकान दूर है । साक्षी मुकेश (अ.सा.5) ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है । इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक-प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इन्कार किया है तथा साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.4 का कथन देने से भी स्पष्ट इन्कार किया है ।

14. साक्षी प्रधान आरक्षक पीरचंद्र चौधरी (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 16.05.13 को उसे थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 87/12 की केस-डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने नरेन्द्र यादव की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कथन है कि उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी एवं साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे और उसने मन से लेखबद्ध कर लिये थे।

15. साक्षी चिकित्सक आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 15.05.13 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में सैनिक बद्रीलाल द्वारा लाये गये नरेन्द्र पिता नानूराम का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसे सिर के आगे भाग पर एक कटा-फटा घांव जिसका आकार $1 \times \frac{1}{2}$ इंच \times चमड़ी की गहराई तक, जो चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से परीक्षण से 2 घंटे के भीतर आना संभावित था। उसने नरेन्द्र को एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी थी तथा उसी आरक्षक द्वारा लाने पर लोकेश पिता कमल का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसे सिर के मध्य भाग में एक सूजन $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ इंच की पायी थी, जो किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से होना प्रतीत होकर उसके परीक्षण से 2 घंटे के भीतर की थी। साक्षी ने मेडिकल-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.8 को भी प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने आहत नरेन्द्र की एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसे कोई अस्थि भंग होना नहीं पाया है। साक्षी ने एक्स-रे परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.9 को भी प्रमाणित किया है। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दोनों आहतों को आई चोटे किसी सख्त एवं बोथरे धरातल पर गिरने से भी आ सकती हैं।

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस घटना में अभियुक्तों के साथ फरियादी पक्ष ने मारपीट की थी तथा उसकी रिपोर्ट अभियुक्तों द्वारा थाने पर लिखाये जाने के बाद फरियादी पक्ष ने इस घटना की रिपोर्ट अपने बचाव में विलंब से दर्ज करायी है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी लोकेश (अ.सा.2) ने स्वीकार किया है कि उसके और नरेन्द्र के विरुद्ध तहसील न्यायालय ठीकरी में शांति भंग की कार्यवाही की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि दोनों आहतों ने स्वीकार किया है कि मकान का निर्माण प्रकाश का हो रहा था तथा प्रकाश इस प्रकरण में आरोपी नहीं है। तर्क के दौरान अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अभियुक्त राहुल द्वारा थाना ठीकरी पर लोकेश और नानूराम के विरुद्ध दर्ज कराये गये अदम चेक क्रमांक 259/13 की छायाप्रति पेश की है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि इसी घटना के संबंध में अभियुक्त राहुल यादव ने फरियादी नरेन्द्र एवं लोकेश के विरुद्ध शाम 9:50 बजे मारपीट करने की रिपोर्ट लिखायी गयी है, लेकिन उक्त असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट के पहले ही फरियादी नरेन्द्र यादव ने अभियुक्तगण के विरुद्ध शाम लगभग 7 बजकर 5 मिनट पर मारपीट की रिपोर्ट लिखायी गयी है, ऐसी स्थिति में बचाव-पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि फरियादी पक्ष ने अपने बचाव में बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है।

17. अभियुक्तगण द्वारा मकान निर्माण की बात को लेकर नरेन्द्र एवं लोकेश के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु ईंट और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने के संबंध में दोनों आहत साक्षियों के कथन परस्पर पुष्टिकारक हैं, जिनका समर्थन नानूराम (अ.सा.3) के कथनों से भी होता है। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद नरेन्द्र यादव (अ.सा.1) ने थाने पर दर्ज

करायी थी, जहां से दोनों आहत साक्षियों को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा गया है और चिकित्सक आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.7) द्वारा उक्त आहत साक्षियों के मेडिकल-परीक्षण के दो घंटे के भीतर उन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु से सिर पर सामने की ओर साधारण प्रकृति की चोटे होना पायी हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं हुआ है ।

18. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त हीरालाल, राहुल और दिनेश ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी नरेन्द्र एवं लोकेश को सख्त एवं बोथरी वस्तु हाथ-मुक्कों एवं ईंट से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की, जो कि भा.द.वि. की धारा-323 का अपराध है । अतः यह न्यायालय उक्त अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा-323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 3 का निराकरण :-

19. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी फरियादी नरेन्द्र (अ.सा.1) का कथन है कि राहुल ने उसे और लोकेश को माँ, बहन की अश्लील गालियां दी थी । साक्षी लोकेश (अ.सा.2) का कथन है कि राहुल ने माँ, बहन की अश्लील गालियां दी थी और उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी थी, लेकिन साक्षियों का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा उन्हें दी गयी गालियां से उन्हें संत्रास कारित हुआ था अथवा अभियुक्तों से वे भयभीत हो गये थे । किसी अन्य साक्षी ने भी अभियुक्तगण द्वारा फरियादी पक्ष को लोकस्थान में अश्लील शब्द कहे हों और धमकी देकर भयभीत करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में भा.द.वि. की धारा-294 एवं 506(2) का अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है, अतः उक्त अपराधों से आरोपीगण को दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

20. चूंकि अभियुक्तों को भा.द.वि. की धारा-323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया है, अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अभियुक्तों एवं उनके अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च:

21. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तों एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया, उनका तर्क है कि अभियुक्त कम आयु के नवयुवक हैं और लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहे हैं, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

22. यह सही है कि अभियुक्तगण ग्रामीण पृष्ठभूमि के नवयुवक हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उनके द्वारा शीघ्रता से विचारण का सामना किया गया है, अतः अभियुक्तगण को न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित करना उचित प्रतीत होता है ।

23. अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा-323 (दो शीर्ष) के अपराध में दोषसिद्ध करने के पश्चात् भा.द.वि. की धारा-323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 5,00/- 5,00/-(अक्षरी पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 7 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाता है ।

24. अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

25. अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर अर्थदण्ड की राशि में से 2,00/- 2,00/-रुपये (दो-दो सौ रुपये) फरियादी, आहतगण नरेन्द्र पिता नानूराम यादव आयु-26 वर्ष एवं लोकेश पिता कमल यादव आयु-14 वर्ष दोनों निवासी यादव मोहल्ला ठीकरी जिला बड़वानी को अपील अवधि पश्चात् अदा किये जाए ।

26. अभियुक्तगण का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

27. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.